## राजस्थान सरकार
## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 168 / 2018 जीसीएमएस नम्बर :–2018 / 00570

बोदनराम उर्फ बोदूराम पुत्र श्री किशनाराम उम्र 50वर्ष जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

**– बनाम –**

1. धूकलराम पुत्र श्री गोपीचन्द्र जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. ताराचन्द पुत्र श्री गोपीचन्द्र जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. गुलाब पुत्री गोपीचन्द पत्नी माडुराम जाति गुर्जर निवासी कोका तह. व जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
4. पतासी पुत्री गोपीचन्द पत्नी हेमराज निवासी खरोली तह. व जिला महेन्द्रगढ़(हरि.)
5. भूरी पुत्री गोपीचन्द्र पत्नी जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. चन्दगीराम पुत्र श्री रामकुवार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. शीशराम पुत्र श्री रामकुवार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. बसन्ति पुत्री रामकुवार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. ग्याना पुत्री रामकुवार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
10. इमरति पत्नी स्व. हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
11. उमराव पुत्र श्री हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
12. माया पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. नत्थु पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. विजयपाल पुत्र श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
15. सरबति पत्नी जयराम जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
16. अशोक पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
17. राकेश पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
18. शर्मिला पुत्री जयराम जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. लाली पुत्री श्री जयराम जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)
20. मदन पुत्र श्री हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
21. मिश्री पुत्री हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
22. सावित्री पुत्री हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
23. विमला पुत्री हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

24. सुनिता पुत्री राजवीर नवीरा हरनारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25. कृष्णा पुत्री राजवीर जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
26. भादरमल पुत्र माडु जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
27. बाबुलाल पुत्र माडु जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
28. चिडिया पुत्र माडु जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
29. चमेली पत्नी बंशीधर जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
30. सत्यवीर पुत्र श्री बंशीधर नवीरा माडु जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना
31. प्रमोद कुमार पुत्र श्री बंशीधर जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
32. रूकमणी पत्नी रोताश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
33. अशोक पुत्र श्री रोताश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
34. सोनू पुत्र रोताश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
35. प्रेम पुत्री रोताश जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
36. कैलाश पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
37. धुमली पुत्री बीरबल पत्नी
38. शान्ति पुत्री बीरबल पत्नी
39. सुमित्रा पुत्री बीरबल पत्नी
40. विद्या पुत्री बीरबल पत्नी
41. बडोदा क्षेत्रिय राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा सिघाना
42. लैण्ड होल्डर एवं तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

**दावा – घोषणात्मक , खाता विभाजन, एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री अशोक यादव अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 ,2 , 6, 7, 11, 20 की ओर से । शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक 23.08.2023

**वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र पेश किया गया कि –**

1. यह कि वाके ग्राम हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) में भूमी खसरा नम्बर 1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ख.न 13 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 133 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 150 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 153 रकबा [illegible] 7 बिस्वा किता 8 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार पुरा पुत्र [illegible] हिस्सा 1/2 [illegible] पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी हमीरवास हिस्सा 1/2 [illegible] प्रकार कि [illegible]राम पुत्र श्री जीवण संवत् 1999 में इस भूमी के 1/2 हिस्सा का खातेदार [illegible] की वारीस वादी हैं तथा पुरू जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पूरया लिखा गया हैं उसके वारीस शेष प्रतिवादी हैं पुरू के वारीसान की वंशाली वाद पत्र के साथ पेश की जा रही हैं जो वाद पत्र का भाग रहेगी।

2. यह कि भूमी गत खसरा नम्बर जिसका वर्णन वाद पत्र के खण्ड न. 1 में किया गया हैं किता 8 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार वादी का पिता किशना 1/2 हिस्सा था एवं अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहा हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं उसके स्थान पर वादी खातेदार दर्ज हैं सवत् 2012 में भी वादी का हकपूर्वाधिकारी किशना पूर्व की भांति 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज रहा इस प्रकार इस भूमी के 1/2 हिस्सा का खातेदार वादी व उसके पूर्व उसका पिता था यह भूमी वादी को अपने पिता से उतराधिकार मे मिली हैं जिस पर 1/2 हिस्सा पर वादी एंकाकी रूप से काबिज कास्तकार हैं।

3. यह कि वादी अपने पिता का इकलौता पुत्र हैं तथा वादी भी भारतीय सेना में नौकरी करता था सवत् 2015 के बाद जब इस भूमी के खातेदारो का नाम दर्ज किया अर्थात् पुरू के वारीसान का नाम दर्ज किया तो इस भूमी में हिस्से दर्ज नही किये व सभी खातेदारो का केवल नाम दर्ज कर दिया गया वादी का पिता वृद्ध था उसकी मृत्यु हो गई वादी भी सेना में नौकरी करता था उसको भी राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी करने की जरूरत नही पडी एवं बिना हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टिया कायम की जाति रही हैं जो आज तक गलत रूप से चली आ रही हैं। तथा वादी का नाम भी बोदनराम की जगह बोदू दर्ज कर दिया गया ।

4. यह कि बन्दोबस्त विभाग ने इस भूमी का वर्तमान खसरा नम्बर 1 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 2 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 15 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 20 रकबा 2.08 हैक्टर खसरा नम्बर 21 रकबा 0.77 हैक्टर खसरा नम्बर 71 रकबा 0.22 हैक्टर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.55 हैक्टर खसरा नम्बर 151 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 163 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 167 रकबा 0.12 हैक्टर खसरा नम्बर 189 रकबा 0.18 हैक्टर खसरा नम्बर 190 रकबा 0.29 हैक्टर खसरा नम्बर 191 रकबा 0.48 हैक्टर खसरा नम्बर 217 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 218 रकबा 0.26 हैक्टर खसरा नम्बर 219 रकबा 0.45 हैक्टर ख.न 134 रकबा 0.12 हैक्टर खसरा नम्बर 261 रकबा 0.09 हैक्टर खसरा नम्बर 262 रकबा 0.11 हैक्टर किता 19 रकबा 7.07 हैक्टर कायम किये तथा खातेदारी मे हिस्से नही दर्ज कर पूर्व की भांति ही गलत प्रविष्टियो को दोहराया गया जो आज तक उसी प्रकार बिना हिस्सा दर्ज किये ही दोहराई जाति रही हैं।

5. यह कि बन्दोबस्त बाद जब इस भूमी के नये खसरा नम्बर कायम किये तो वादी ने अपने – अपने हिस्सा भूमी में से 0.13 हैक्टर रकबा का बेचान कर दिया अर्थात् 7.07 हैक्टर के 1/2 हिस्से के अनुसार वादी के हिस्से मे 3.54 हैक्टर रकबा आया था जिसमें से उसने 0.13 हैक्टर रकबा का बेचान कर दिया तो अब वादी का इस भूमी में 3.41 हैक्टर रकबा शेष हैं।

6. यह कि अब भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 1 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 1 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चोहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

18 रकबा 6.94 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी गोनी का 1/10 हिस्सा जो अब प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के पाया हैं तथा प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी रामकुवार का 1/10 हिस्सा जो अब प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 के पास हैं तथा प्रतिवादी स. 10 लगायत 25 के हकपूर्वाधिकारी हरनारायण का 1/10 हिस्सा जो अब प्रतिवादी स. 10 लगायत 25 के पास हैं जिसमें अर्थात् इस 1/10 हिस्सा में प्रतिवादी स. 10 व 11 का 2/9 हिस्सा प्रतिवादी स. 12 लगायत 14 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी स. 15 लगायत 19 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी स. 20 लगायत 23 का 4/9 हिस्सा प्रतिवादी स. 24 व 25 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 26 लगायत 31 के हकपूर्वाधिकारी जयनारायण का 1/10 हिस्सा था उसका वारीस माडु था उसकी भी मृत्यु हो गई जिसका वारीस प्रतिवादी स. 26 लगायत 31 हैं इस 1/10 हिस्सा में प्रतिवादी स. 26 लगायत 28 का 4/5 व प्रतिवादी स. 29 लगायत 31 का 1/5 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 32 लगायत 36 के हकपूर्वाधिकारी बीबरल का 1/10 हिस्सा था जिसमें प्रतिवादी स. 32 लगायत 35 का इस 1/10 हिस्सा में 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 36 लगायत 40 का 5/6 हिस्सा हैं इसी अनुसार सभी खातेदार मौके पर काबिज हैं।

7. यह कि भूमी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.13 हैक्टर का बेचान वादी ने रामलाल अहीर निवासी सागा को कर दिया हैं जो खाता से अलग होकर रामलाल के नाम दर्ज हो चुका हैं।
8. यह कि वादी का सम्पूर्ण भूमी में 1/2 हिस्सा हैं लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने भूल व लापरवाही से इस भूमी में खातेदारो के हिस्से दर्ज नही किये जिस कारण वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
9. यह कि वाद वर्णित भूमी में वादी का 1/2 हिस्सा हैं जिस पर वह काबिज हैं लेकिन वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज नही होने व प्रतिवादीगण का भी हिस्सा दर्ज नही होने से वादी अपने हिस्से की भूमी पर ऋण आदि लेने सुधार कार्य करने सरकारी योजनाओ का लाभ लेने में भारी परेशानी होती हैं जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
10. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमी में वादी का 1/2 हिस्सा होने तथा राजस्व कर्मचारीयो द्वारा इसमें वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज नही करने से व बन्दोबस्त विभाग द्वारा भी वही त्रृटि दोहराये जाने से एवं वादी का खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी इस प्रकार के दावो के लिए कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं।
11. यह कि वाद वर्णित भूमी कृर्षि भूमी हैं तथा जो गॉव हमीरवास में स्थित हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
12. यह कि वादी का वाद वर्णित भूमी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स. 1 लगायत 40 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स. 11 से इस पर प्रतिवादी स. 26 लगायत 31 ने ऋण ले रखा हैं तथा प्रतिवादी स. 42 लैण्ड होल्डर होने से वे आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।
13. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. खाता विभाजन के लिए 1/–रू. स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं अतः दावा कुल 3/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवा में पेश हैं
14. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति में हैं तथा वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

15. यह कि वाद वर्णित भूमी का अपडेटेड रिकॉड पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(A). कि वाके ग्राम हमीरवास तहसील बुहाना स्थित भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 15 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 151 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता 18 रकबा 6.94 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी स . 1 लगायत 5 का 1/10 प्रतिवादी स. 6 लगायत 9 का 1/10 प्रतिवादी स. 10 व 11 का 2/9 , प्रतिवादी स. 12 लगायत 14 का 1/9 प्रतिवादी स. 15 लगायत 19 का 1/9 प्रतिवादी स. 20 लगायत 23 का 4/9 प्रतिवादी स. 24 व 25 का 1/9 हिस्सा दर हिस्सा 1/10 प्रतिवादी स. 26 लगायत 28 का 4/5 प्रतिवादी स. 29 लगायत 31 का 1/5 दर हिस्सा 1/10 प्रतिवादी स. 32 लगायत 35 का 1/6 प्रतिवादी स. 36 लगायत 40 का5/6 हिस्सा दर हिस्सा 1/10 दर्ज कर इसी अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करें। तथा वादी का नाम बोदू के स्थान पर बोदनराम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने कि कृपा करे।

(B). कि वाके ग्राम हमीरवास तहसील बुहाना स्थित भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 15 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 151 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता 18 रकबा 6.94 हैक्टर में वादी के 1/2 हिस्सा का खाता विभाजन कर वादी के हिस्से मे आने वाली भूमी का सीमांकन एवं मापन कर विभजित कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करें।

(C). कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम हमीरवास स्थित भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 15 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 151 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता 18 रकबा 6.94 हैक्टर में वादी के 1/2 हिस्सा के उपयोग – उपभोग में कोई दखल नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही अन्य से करवाये।

(D) .कि वादी का दावा विरूद प्रतिवादीगण डिकी कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसका वाजिब हकदार हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई श्री अशोक यादव अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 ,2 , 6, 7, 11, 20 की ओर से जिन्होने इकबाली जवाब पेश कर वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया । शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षी [illegible] ही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ [illegible] का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नही किया गया हैं एवं जो पक्षकार उपस्थित [illegible] उन्होने दावे को स्वीकार किया हैं इसलिए वादी का दावा डिकी योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 17.08.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिर्पोट दिनांक 15.12.2022 को प्राप्त हुये।

**बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

**– :: आदेश ::–**

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम हमीरवास तहसील बुहाना स्थित भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 15 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 151 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता 18 रकबा 6.94 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23–08–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

( सुनील कुमार चौहान )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

**मूल वाद में अंतिम डिक्री**
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)**

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 168/2018 जीसीएमएस नम्बर : 2018/00570

**बोदनराम – ब ना म –धूकलराम**

**दावा – घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ति**

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **विजयपाल यादव,** अधिवक्ता, श्री अशोक यादव अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 ,2, 6, 7, 11, 20 की ओर से की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 23.08.2023 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –
**" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम हमीरवास तहसील बुहाना स्थित भूमी खसरा नम्बर 2 खसरा नम्बर 15 खसरा नम्बर 20 खसरा नम्बर 21 खसरा नम्बर 71 खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 151 खसरा नम्बर 163 खसरा नम्बर 167 खसरा नम्बर 189 खसरा नम्बर 190 खसरा नम्बर 191 खसरा नम्बर 217 खसरा नम्बर 218 खसरा नम्बर 219 खसरा नम्बर 234 खसरा नम्बर 261 खसरा नम्बर 262 किता 18 रकबा 6.94 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "**
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 23–08–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested